NEXT IAS

# दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

**समय:** 45 मिनट

**दिनाँक:** 03-10-2026

## विषय सूची


भारत में दवा की कीमतों के नियमन की व्यवस्था

भारत और नीदरलैंड के बीच प्रगाढ़ होता सहयोग

एक राष्ट्र, एक चुनाव पर सर्वोच्च न्यायालय

जबरन श्रम और अतिरिक्त उत्पादन क्षमता को लेकर व्यापार संबंधी चिंताएँ

पर्यावरणीय मंजूरी का पश्चात् अनुमोदन

**संक्षिप्त समाचार**

गोबरधन योजना

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड

अभ्यास 'वरुण'

सिकल सेल एनीमिया की गंभीरता का अनुमान लगाने के लिए भारत-विशिष्ट उपकरण

बुक्सा टाइगर रिजर्व

पैरासेल द्वीप समूह में एंटीलोप रीफ

G7 देश 10 करोड़ बैरल तेल जारी करेंगे

पाकिस्तान में SCO राष्ट्रीय समन्वयकों की बैठक

# भारत में दवा की कीमतों के नियमन की व्यवस्था

## चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और जेनेरिक दवाओं की कीमतों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की।

## सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ

- इसने दवा के खुदरा विक्रेता के लिए कीमत (PTR) और उपभोक्ता द्वारा चुकाई जाने वाली कीमत के बीच बड़े अंतर पर चिंता व्यक्त की, विशेष रूप से कैंसर की दवाओं के मामले में।
- इसने पूछा कि क्या DPCO, 2013 के तहत 16% खुदरा विक्रेता मार्जिन को अन्य आवश्यक दवाओं तक भी विस्तारित नहीं किया जा सकता।
- इसने अस्पतालों द्वारा मरीजों से अपनी ही फार्मेसी से दवाएँ खरीदने के लिए कहने की प्रथा पर सवाल उठाया।
- इसने बताया कि आयुष्मान भारत जैसी सरकारी योजनाओं में अधिक दरें अंततः करदाताओं के धन पर अतिरिक्त बोझ डालती हैं।

## भारत में दवा की कीमतों को नियंत्रित करने वाला विधान

- **आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955**: यह केंद्र सरकार को दवाओं सहित आवश्यक वस्तुओं पर नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है।
- धारा 3(1) केंद्र सरकार को किसी आवश्यक वस्तु की आपूर्ति बनाए रखने या बढ़ाने अथवा उसके समान वितरण और उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उसके उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को विनियमित करने की अनुमति देती है।
- धारा 3(2)(ग) वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने वाले आदेश जारी करने की अनुमति देती है।
- **औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (DPCO, 2013):** दवाओं की कीमतों को औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (DPCO, 2013) के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रित किया जाता है।
- DPCO दवाओं को अनुसूचित और गैर-अनुसूचित तैयारियों में विभाजित करता है।
- अनुसूचित दवाएँ वे हैं जो आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (NLEM) की अनुसूची-I में शामिल हैं और जिनकी कीमतें सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के अंतर्गत होती हैं, जबकि गैर-अनुसूचित दवाएँ सामान्य मूल्य-सीमा प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती हैं।
- डीपीसीओ (DPCO), 2013 के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) DPCO, 2013 की अनुसूची-I में शामिल दवाओं की अधिकतम कीमत निर्धारित करता है। यह अनुसूची स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा प्रकाशित आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (NLEM) पर आधारित है।
- वर्तमान अनुसूची-I में 384 दवाएँ शामिल हैं, जो दवा बाजार के कुल कारोबार का लगभग 20% हिस्सा बनाती हैं।

### क्या आप जानते हैं?

- राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) किसी अनुसूचित दवा के उन सभी ब्रांड/जेनेरिक संस्करणों के लिए अधिकतम मूल्य की गणना करता है, जिनमें समान सक्रिय औषधीय घटक होता है। इसमें 1% से कम बाजार हिस्सेदारी वाले उत्पादों को शामिल नहीं किया जाता है। यह गणना गतिशील वार्षिक कारोबार (MAT) के आधार पर की जाती है।
- यह योग्य उत्पादों की औसत खुदरा विक्रेता कीमत (PTR) की गणना करता है और अधिकतम मूल्य निर्धारित करने के लिए इसमें 16% खुदरा विक्रेता मार्जिन जोड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि औसत PTR ₹8, ₹10 और ₹12 है, तो औसत PTR ₹10 होगा, जबकि अधिकतम मूल्य ₹11.60 होगा। संबंधित करों को छोड़कर, कीमत इस राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अधिकतम कीमतों में हर वर्ष 1 अप्रैल को थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के अनुसार संशोधन किया जाता है।
- निर्माताओं को अनुमत WPI दर के अनुसार कीमतें बढ़ाने की अनुमति होती है और नकारात्मक WPI की स्थिति में, निर्धारित अवधि के भीतर कीमतों को उसी के अनुसार कम करना होता है।

## मुद्दे एवं चिंताएँ

- **कवरेज से संबंधित मुद्दे:** NLEM में शामिल नहीं होने वाली दवाओं को सामान्यतः गैर-अनुसूचित दवाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और वे DPCO के तहत निर्धारित अधिकतम मूल्य-सीमा के अंतर्गत नहीं आती हैं।
- निर्माता प्रारंभिक अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) निर्धारित कर सकते हैं, जिसमें यह प्रावधान होता है कि 12 महीनों में एमआरपी को 10% से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता।
- लेकिन पहली बार निर्धारित की जाने वाली कीमत विनियमित नहीं होती; निर्माता शुरुआत से ही अत्यधिक अधिक MRP निर्धारित कर सकते हैं, जिससे बाद में लागू होने वाली 10% मूल्य-वृद्धि की सीमा अर्थहीन हो जाती है।

- **मौलिक अधिकारों का उल्लंघन:** जनहित याचिकाओं में तर्क दिया गया है कि MRP का अनियंत्रित रूप से पहली बार निर्धारण अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन करता है, क्योंकि इससे निर्माताओं को दवाओं की कीमत निर्धारित करने का अनुचित विवेकाधिकार मिल जाता है, जिसका वास्तविक निर्माण लागत से कोई संबंध नहीं होता।
- **मूल्य में असमानता:** दुकानों और अस्पतालों द्वारा अत्यधिक मुनाफा मार्जिन लिया जाता है, जिसमें लाभ अनुमत 16% मार्जिन से 10–16 गुना तक अधिक हो जाता है।
- **कॉर्पोरेट हित:** याचिका में दावा किया गया है कि गंभीर रूप से बीमार मरीजों के अस्पताल के बिल में फार्मेसी शुल्क 30–40% तक का योगदान करते हैं और दवाओं की कीमतें कॉर्पोरेट अस्पतालों द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
- इसमें जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं की कीमतों के बीच बड़े अंतर की ओर भी संकेत किया गया है। लोकसभा में दिए गए साक्ष्य का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि जेनेरिक दवाएँ ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50–90% तक सस्ती हो सकती हैं।

## निष्कर्ष

- भारत की दवा-मूल्य निर्धारण व्यवस्था का उद्देश्य सामर्थ्य, उपलब्धता और औषधीय नवाचार के लिए प्रोत्साहन के बीच संतुलन स्थापित करना है।
- हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत शिकायतें गैर-अनुसूचित दवाओं के प्रारंभिक मूल्य निर्धारण, अत्यधिक व्यापारिक मार्जिन, अस्पताल की फार्मेसी द्वारा लगाए जाने वाले अतिरिक्त मूल्य और ब्रांडेड तथा जेनेरिक दवाओं के बीच मूल्य-अंतर से संबंधित कमियों को उजागर करती हैं।
- इसलिए, औषधि आपूर्ति श्रृंखला में अधिक पारदर्शिता, MRP और व्यापारिक मार्जिन की निगरानी, सस्ती जेनेरिक दवाओं की व्यापक उपलब्धता, मौजूदा मूल्य नियंत्रणों का अधिक प्रभावी प्रवर्तन और गैर-अनुसूचित दवाओं के साक्ष्य-आधारित विनियमन की आवश्यकता है।

स्रोत :TH

# भारत और नीदरलैंड के बीच प्रगाढ़ होता सहयोग

## चर्चा में क्यों?

भारत और नीदरलैंड ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने तथा सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज के लिए द्विपक्षीय वार्ता की।

## ऐतिहासिक सम्बन्ध

- भारत और नीदरलैंड ने वर्ष 1947 में राजनयिक संबंध स्थापित किए।
- वर्ष 2022 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हुए।
- भारत और नीदरलैंड के बीच मजबूत राजनीतिक, आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध हैं। उच्च-स्तरीय पारस्परिक आदान-प्रदान ने दोनों देशों के बीच बहुआयामी साझेदारी को गति प्रदान की है।
- जल, कृषि और स्वास्थ्य (WAH) तकनीक और नवाचार के अलावा सहयोग के तीन प्राथमिक क्षेत्र हैं।

## सहयोग के क्षेत्र

### नवीकरणीय ऊर्जा

- भारत और नीदरलैंड के बीच नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मजबूत सहयोग है।
- नीदरलैंड ने मई 2018 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- भारत वैश्विक अनुकूलन आयोग (GCA) के सह-संयोजक देशों में से एक है, जिसका मुख्यालय नीदरलैंड में है।
- नीदरलैंड वर्ष 2021 में आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) में शामिल हुआ।

### विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष

- नीदरलैंड वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन (NWO) भारत में अनुसंधान के लिए प्रमुख राष्ट्रीय वित्तपोषण संस्थाओं जैसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST), जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) के साथ सहयोग करता है।
- भारत और नीदरलैंड ने फरवरी 2025 में नई दिल्ली में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर संयुक्त कार्य समूह (JWG) की 9वीं बैठक आयोजित की।

### रणनीतिक सहयोग

- भारत और नीदरलैंड ने 2026–2030 के लिए अपने संबंधों को "रणनीतिक साझेदारी" तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। इसका ध्यान नियमित उच्च-स्तरीय संवाद और प्रमुख क्षेत्रों में मजबूत सहयोग पर होगा।
- नीदरलैंड ने 2020 में हिंद-प्रशांत पर अपने दिशा-निर्देश जारी किए, जिनमें भारत को एक प्रमुख साझेदार के रूप में पहचाना गया है। भारत ने इन दिशा-निर्देशों का स्वागत किया।
- दोनों पक्ष स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत के लिए एक-दूसरे के दृष्टिकोण में निकट समानता को स्वीकार करते हैं।

### व्यापार और वाणिज्यिक संबंध

- व्यापार और वाणिज्यिक संबंध दोनों देशों के जीवंत संबंधों की आधारशिला हैं।
- नीदरलैंड दुनिया में भारत का 11वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।

NEXT IAS हिन्दी

- यह वैश्विक स्तर पर भारत का तीसरा सबसे बड़ा वस्तु निर्यात गंतव्य और यूरोप में सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है।
- वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान नीदरलैंड के साथ भारत का कुल वस्तु व्यापार 27.8 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।
- नीदरलैंड के साथ कुल वस्तु व्यापार भारत के कुल वस्तु व्यापार का 2.40% है।
- नीदरलैंड भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक है।

**बंदरगाह/जहाजरानी/अंतर्देशीय जलमार्ग**

- भारत और नीदरलैंड ने 2008 में बंदरगाहों, समुद्री परिवहन और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे हाल ही में अक्टूबर 2025 में फिर से विस्तारित किया गया।
- इसमें अनुसंधान एवं विकास, जहाज निर्माण, नवाचार और स्थिरता पर विशेष ध्यान दिया गया है।

**कृषि और खाद्य प्रसंस्करण**

- कृषि दोनों पक्षों द्वारा द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए चिन्हित किए गए प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। भारत और नीदरलैंड संयुक्त कार्य समूह के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में सहयोग करते हैं।
- हाल ही में दोनों पक्षों ने कृषि और बागवानी क्षेत्रों में 25 उत्कृष्टता केंद्रों (CoEs) की स्थापना की दिशा में हुई प्रगति पर चर्चा की।
- इसके अलावा, दोनों पक्षों ने सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने वाली एक कार्ययोजना के माध्यम से बीज क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएँ तलाशने पर सहमति व्यक्त की, ताकि प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक स्पष्ट ढाँचा तैयार किया जा सके।

**स्वास्थ्य सेवा में सहयोग**

- भारत और नीदरलैंड स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन के तहत एक संयुक्त कार्य समूह के माध्यम से काम करते हैं। इसका उद्देश्य संक्रामक रोगों और रोगाणुरोधी प्रतिरोध से जुड़ी उभरती स्वास्थ्य चुनौतियों पर वैश्विक अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देना है।
- इस समझौता ज्ञापन को हाल ही में 2025 में विस्तारित किया गया।

**भारतीय समुदाय और विद्यार्थी**

- नीदरलैंड में मुख्यभूमि यूरोप में भारतीय मूल के लोगों की सबसे बड़ी आबादी रहती है।
- यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय के लगभग 3,00,000 सदस्य रहते हैं, जिनमें लगभग 2,00,000 सुरिनामी हिंदुस्तानी समुदाय के सदस्य शामिल हैं, जो अब डच समाज में पूरी तरह एकीकृत हो चुके हैं।

## संबंधों का उन्नयन

- भारत और नीदरलैंड ने 2026–2030 के लिए समयबद्ध रणनीति के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक उन्नत किया।
- सहयोग में राजनीतिक संवाद, व्यापार और निवेश, महत्वपूर्ण खनिज, कृषि, जल प्रबंधन, स्वास्थ्य, औषधियाँ, नई प्रौद्योगिकियाँ, सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, शिक्षा और अनुसंधान शामिल हैं।
- दोनों पक्ष हरित हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा, चक्रीय अर्थव्यवस्था, सतत शहरी विकास और हरित एवं डिजिटल समुद्री गलियारे पर सहयोग को गहरा करेंगे।
- वे रक्षा, समुद्री और सुरक्षा सहयोग का भी विस्तार करेंगे, जिसमें आतंकवाद-रोधी प्रयास और साइबर सुरक्षा शामिल हैं।
- रणनीति विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और कुशल पेशेवरों के निष्पक्ष प्रवासन और आवागमन को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ सांस्कृतिक, पर्यटन, विरासत और जन-से-जन संपर्क को बढ़ाने को भी प्रोत्साहित करती है। इससे लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, नवाचार, निवेश और सतत विकास को समर्थन मिलेगा।

## साझेदारी का महत्व

**आर्थिक प्रवेश द्वार और व्यापार सुविधा**

- नीदरलैंड भारत के लिए यूरोपीय संघ के बाजार तक आर्थिक और लॉजिस्टिक प्रवेश द्वार है, जबकि डच उद्यमों को भारत के विशाल उपभोक्ता आधार और कुशल श्रमिकों के समूह तक पहुँच प्राप्त होती है।

**ऊर्जा संक्रमण और जलवायु अनुकूलन में तेजी**

- नीदरलैंड की जल एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता और भारत के विशाल हरित ऊर्जा स्तर का संयोजन दोनों पक्षों के लिए कार्बन उत्सर्जन में कमी और जलवायु अनुकूलन को गति प्रदान करता है।

**महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं का लचीलापन**

- सेमीकंडक्टर, स्मार्ट विनिर्माण और डिजिटल अवसंरचना में रणनीतिक तकनीकी संबंध एकल देश पर निर्भरता से उत्पन्न वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के जोखिम को कम करते हैं।

**हिंद-प्रशांत में समानता और रणनीतिक अभिसरण**

- स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत व्यवस्था के प्रति साझा प्रतिबद्धता यूरोपीय समुद्री नीति को भारत के क्षेत्रीय नेतृत्व से जोड़ती है।

## मुद्दे और चिंताएँ

**यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) का प्रभाव**

- यूरोपीय संघ की कार्बन कर नीतियाँ यूरोपीय संघ के बाजार में भारत के इस्पात, एल्युमीनियम और विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात के लिए चुनौती उत्पन्न करती हैं।

### निर्यात नियंत्रण और नियामक बाधाएँ

- महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए कड़े निर्यात नियंत्रण गैर-नाटो देशों को इन प्रौद्योगिकियों के सुचारु हस्तांतरण में बाधा डाल सकते हैं।

### विलंब

- भारत में बड़े शहरी जल और अवसंरचना परियोजनाओं को नौकरशाही विलंब और स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जिसका कारण बहु-स्तरीय प्रशासनिक ढाँचा है।

### विदेश नीति के उद्देश्यों में टकराव

- भू-राजनीतिक हितों का मिश्रण—नीदरलैंड का नाटो और यूरोपीय सुरक्षा स्थिति पर ध्यान तथा भारत की हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक स्वायत्तता पर केंद्रित नीति—राजनयिक चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकता है।

## निष्कर्ष

- भारत-नीदरलैंड संबंध पारंपरिक आर्थिक संबंध से आगे बढ़कर एक समग्र, प्रौद्योगिकी-आधारित साझेदारी के रूप में विकसित हुए हैं।
- दोनों देश व्यापार की बाधाओं को और कम करने तथा व्यापार तंत्र को जलवायु उद्देश्यों के अनुरूप बनाने के लिए उपयुक्त स्थिति में हैं, जिससे पूरे यूरोप और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सतत आर्थिक विकास को गति दी जा सके।

**स्रोत: PIB**

# एक राष्ट्र, एक चुनाव पर सर्वोच्च न्यायालय

## चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने "एक राष्ट्र, एक चुनाव" पर संविधान (129वाँ संशोधन) विधेयक, 2024 की जाँच कर रही संसदीय संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तावित 6 अक्टूबर की बैठक को अस्वीकार कर दिया। इस बैठक में भारत के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों और संयुक्त समिति के बीच संवाद प्रस्तावित था।

## एक राष्ट्र, एक चुनाव(एक साथ चुनाव)

- एक साथ चुनाव का प्रस्ताव लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव चक्रों को एक साथ करने से संबंधित है।
- इसके तहत मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्रों में एक ही दिन दोनों स्तरों की सरकारों के लिए मतदान कर सकेंगे, हालांकि पूरे देश में मतदान अलग-अलग चरणों में हो सकता है।
- इन चुनावी समय-सारिणियों को समन्वित करके इस व्यवस्था का उद्देश्य लॉजिस्टिक चुनौतियों का समाधान करना, लागत कम करना और बार-बार होने वाले चुनावों से उत्पन्न व्यवधानों को न्यूनतम करना है।

## वैश्विक परिदृश्य

- दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन और जर्मनी जैसे संसदीय लोकतंत्रों में उनकी विधायिकाओं का कार्यकाल निश्चित होता है।
- दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय सभा और प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हर पाँच वर्ष में एक साथ होते हैं। देश के राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रीय सभा द्वारा किया जाता है।
- स्वीडन के प्रधानमंत्री और जर्मनी के चांसलर का चुनाव उनकी संबंधित विधानसभाओं द्वारा हर चार वर्ष में किया जाता है।
- जर्मन चांसलर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल उत्तराधिकारी का चुनाव करके ही लाया जा सकता है।

## भारत में स्थिति

- भारत में वर्ष 1952, 1957, 1962 और 1967 के पहले चार आम चुनाव चक्रों में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे।
- लोकसभा और कई राज्य विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण यह समन्वय समाप्त हो गया, जिसके परिणामस्वरूप अलग-अलग समय पर चुनाव होने लगे।
- वर्ष 2019 तक केवल चार राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव हुए।
- एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था को पुनः लागू करने का विचार पहले 1982 में भारत निर्वाचन आयोग और 1999 में विधि आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
- संविधान (129वाँ संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्रशासित प्रदेश विधि (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने को सक्षम बनाना है।
- इन विधेयकों को दिसंबर 2024 में एक संयुक्त समिति को भेजा गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 39 सदस्यीय समिति का गठन किया।

## एक साथ चुनाव के समर्थन में तर्क

1. **लागत में कमी**
    - एक साथ चुनाव कराने से चुनाव संबंधी खर्च में काफी कमी आ सकती है।
    - केंद्र सरकार लोकसभा चुनावों पर अनुमानतः ₹4,000 करोड़ खर्च करती है, जबकि प्रत्येक राज्य विधानसभा चुनाव में राज्य के आकार के अनुसार अतिरिक्त खर्च होता है।

NEXT IAS हिन्दी

- इसके अलावा, राजनीतिक दल और उम्मीदवार सरकारी खर्च की तुलना में कई गुना अधिक खर्च करते हैं।
- इसलिए, एक साथ चुनाव कराने से सरकार, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों पर पड़ने वाले कुल वित्तीय बोझ को कम करने में मदद मिल सकती है।

**2. नीतिगत निरंतरता और स्थिरता**

- बार-बार होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव (लगभग 5–6 चुनाव प्रतिवर्ष) राजनीतिक दलों और मंत्रियों को "स्थायी चुनावी अभियान" की मानसिकता में रख सकते हैं, जिससे प्रभावी नीति-निर्माण और शासन प्रभावित हो सकता है।
- चुनावों के दौरान लगभग 45–60 दिनों तक आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू रहती है और यह केंद्र तथा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नई पहलों और परियोजनाओं की शुरुआत को प्रतिबंधित करती है।
- इसलिए, एक साथ चुनाव नीतिगत निरंतरता और सरकारी स्थिरता प्रदान कर सकते हैं।

**3. प्रशासनिक दक्षता**

- बार-बार होने वाले चुनाव प्रशासनिक स्तर पर भी सरकार की कार्यक्षमता को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जिला स्तर का प्रशासनिक तंत्र बड़े पैमाने पर चुनाव संबंधी कार्यों में लगा रहता है।
- स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी नियमित रूप से उनके सामान्य तैनाती स्थलों से चुनाव वाले राज्यों में भेजा जाता है।
- बार-बार होने वाले चुनाव प्रशासनिक संसाधनों पर लगातार बोझ डालते हैं और प्रशासनिक दक्षता को कम कर सकते हैं।

**4. सामाजिक एकजुटता**

- बार-बार होने वाले उच्च-दांव वाले चुनाव राजनीतिक दलों को चुनावी समर्थन प्राप्त करने के लिए अधिक ध्रुवीकरण वाले अभियानों को प्रोत्साहित कर सकते हैं।
- सोशल मीडिया के विकास ने इस तरह के राजनीतिक प्रचार को और बढ़ावा दिया है, जिससे भारत जैसे बहुधार्मिक और बहुभाषी देश में सामाजिक विभाजन बढ़ सकता है।
- यह सुझाव दिया जाता है कि एक साथ चुनाव चुनाव-प्रेरित ध्रुवीकरण की घटनाओं को कम करेंगे और बेहतर सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देंगे।

## इसमें शामिल चुनौतियाँ

**1. संघवाद से संबंधित मुद्दे**

- भारत एक संघीय देश है और प्रत्येक राज्य की अपनी क्षेत्रीय चुनौतियाँ और उद्देश्य हैं।
- एक साथ चुनाव कराने से राज्य-विशिष्ट मुद्दों पर राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो सकते हैं।
- इससे राष्ट्रीय दलों को क्षेत्रीय दलों की तुलना में लाभ मिल सकता है। इससे संविधान की संघीय भावना प्रभावित हो सकती है।

**2. लोकतांत्रिक जवाबदेही पर प्रभाव**

- चुनाव एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया तंत्र हैं, जिसके माध्यम से जनता सरकारों के कार्यों का मूल्यांकन करती है।
- बार-बार होने वाले चुनावों ने कई बार सरकारों को चुनावी प्रतिक्रिया के आधार पर अपनी नीतियों में बदलाव या नई नीतियाँ जोड़ने के लिए मजबूर किया है।
- यदि चुनाव केवल हर पाँच वर्ष में एक बार हों, तो मतदाताओं के पास समय-समय पर चुनावी प्रतिक्रिया देने के अवसर सीमित हो सकते हैं।

**3. संवैधानिक संशोधन**

- एक साथ चुनाव कराने के लिए संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी, क्योंकि भारत में संसदीय व्यवस्था है, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं को उनका सामान्य पाँच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग किया जा सकता है, यदि सरकार बहुमत खो देती है, कोई वैकल्पिक सरकार नहीं बन पाती या समय से पहले चुनाव की आवश्यकता उत्पन्न होती है।
- अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होने से राज्य विधानसभाएँ भी प्रभावित हो सकती हैं।
- इसलिए, पाँच वर्ष के निश्चित और समन्वित कार्यकाल की स्थापना के लिए संसद से संबंधित अनुच्छेद 83 और 85, राज्य विधानसभाओं से संबंधित अनुच्छेद 172 और 174, तथा अनुच्छेद 356 में बदलाव की आवश्यकता होगी।

## विधि आयोग और समिति की सिफारिशें

- विधि आयोग (1999 और 2018 का मसौदा) तथा संसदीय स्थायी समिति (2015) ने एक साथ चुनाव लागू करने के तरीकों का अध्ययन किया।
- उनकी सिफारिशों में लोकसभा और लगभग आधी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक चक्र में तथा शेष विधानसभाओं के चुनाव ढाई वर्ष बाद कराने का सुझाव शामिल था। इसके लिए मौजूदा कार्यकालों में समायोजन तथा संविधान और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन की आवश्यकता होगी।
- उन्होंने यह भी प्रस्तावित किया कि अविश्वास प्रस्ताव के साथ विश्वास प्रस्ताव भी लाया जाना चाहिए, ताकि वैकल्पिक सरकार बनाने की सुविधा हो सके। वहीं, समय से पहले भंग होने के बाद गठित किसी भी सदन को मूल सदन के शेष कार्यकाल के लिए ही कार्य करना चाहिए।

- उपचुनावों को भी एक साथ करके वर्ष में एक बार आयोजित किया जा सकता है।

## एक राष्ट्र, एक चुनाव पर सर्वोच्च न्यायालय

- सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों और एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयकों की जाँच कर रही संयुक्त संसदीय समिति के बीच प्रस्तावित बैठक को अस्वीकार कर दिया।
- न्यायालय ने कहा कि चूँकि प्रस्तावित संवैधानिक संशोधनों को बाद में न्यायिक समीक्षा का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए वर्तमान में कार्यरत न्यायाधीशों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करना "उचित या वांछनीय" नहीं होगा।
- संयुक्त संसदीय समिति संविधान (129वाँ संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्रशासित प्रदेश विधि (संशोधन) विधेयक, 2024 की जाँच कर रही है। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने में सक्षम बनाना है।
- समिति के अध्यक्ष ने कहा कि प्रस्तावित दौरे का उद्देश्य केवल सदस्यों को न्यायालय से परिचित कराना था। हालांकि, यह घटनाक्रम शक्तियों के पृथक्करण और न्यायिक स्वतंत्रता बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करता है।

## निष्कर्ष

- "एक राष्ट्र, एक चुनाव" की अवधारणा एक संरचनात्मक सुधार है, जिसका उद्देश्य भारत के प्रशासनिक संसाधनों का बेहतर उपयोग करना, चुनावों पर होने वाले खर्च को कम करना और लगातार चलने वाले चुनावी अभियानों के कारण सरकार के कामकाज में आने वाले व्यवधानों को समाप्त करना है।
- लेकिन इसकी सफलता गंभीर संवैधानिक मुद्दों के समाधान, संघवाद की रक्षा और सरकार के समय से पहले इस्तीफा देने या कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति से निपटने के लिए प्रभावी तंत्र बनाने पर निर्भर करेगी।

स्रोत :IE

# जबरन श्रम और अतिरिक्त उत्पादन क्षमता को लेकर व्यापार संबंधी चिंताएँ

## सन्दर्भ

- भारत ने जी-20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में अमेरिकी चिंताओं के संबंध में अपनी व्यापार नीतियों का बचाव किया। ये चिंताएँ जबरन श्रम से जुड़े आयात और संरचनात्मक अतिरिक्त उत्पादन क्षमता से संबंधित हैं।

## जबरन श्रम से संबंधित आयात का परिचय

- जबरन श्रम से संबंधित आयात से आशय ऐसे माल के आयात से है, जिसका निर्माण उसके उत्पादन के किसी चरण में पूर्णतः या आंशिक रूप से जबरन श्रम का उपयोग करके किया गया हो।
- संरचनात्मक अतिरिक्त उत्पादन क्षमता ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है, जिसमें किसी क्षेत्र में उत्पादन क्षमता लगातार घरेलू और वैश्विक मांग से अधिक बनी रहती है, जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक उत्पादन, कीमतों में गिरावट और व्यापार में विकृतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

## जबरन श्रम से संबंधित व्यापार उपायों पर भारत का पक्ष

- **विश्व व्यापार संगठन आधारित दृष्टिकोण**: भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि अनुचित व्यापार प्रथाओं से संबंधित चिंताओं का समाधान मौजूदा विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप साधनों के माध्यम से किया जाना चाहिए, जिनमें शामिल हैं:
- **प्रतिपाटन शुल्क**: ये अतिरिक्त आयात शुल्क हैं, जो तब लगाए जाते हैं जब कोई विदेशी कंपनी किसी उत्पाद को उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात करती है, जिससे घरेलू उद्योग को नुकसान होता है या नुकसान होने का खतरा होता है।
- **प्रतिपूरक शुल्क**: ये अतिरिक्त आयात शुल्क हैं, जो विदेशी उत्पादकों को उनकी सरकारों द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी के कारण मिलने वाले लाभ की भरपाई के लिए लगाए जाते हैं।
- **साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण:** भारत ने तर्क दिया है कि व्यापार प्रतिबंध किसी पूरे देश या क्षेत्र के बारे में धारणाओं के बजाय विशेष वस्तुओं, कंपनियों या आपूर्ति श्रृंखलाओं से संबंधित विशिष्ट और सत्यापन योग्य साक्ष्यों पर आधारित होने चाहिए।

## भारत में कानूनी ढाँचा

- **बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976:** यह ऐसी श्रम व्यवस्थाओं पर रोक लगाता है, जिनमें बच्चे सहित लोग ऋण चुकाने के लिए गुलामी जैसी परिस्थितियों में काम करते हैं। यह मुक्त किए गए श्रमिकों के पुनर्वास के लिए भी एक रूपरेखा प्रदान करता है।
- **संवैधानिक प्रावधान:** अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेगार (जबरन श्रम) और इसी प्रकार के अन्य जबरन श्रम के रूपों पर रोक लगाता है।
- भारत ने आईएलओ अभिसमय संख्या 29 (जबरन श्रम अभिसमय, 1930) और आईएलओ अभिसमय संख्या 105 (जबरन श्रम उन्मूलन अभिसमय, 1957) का अनुमोदन किया है।
- **आयात पर प्रतिबंध:** जुलाई 2026 में भारत ने अपनी विदेश व्यापार नीति में संशोधन करके जबरन श्रम का उपयोग करके उत्पादित वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया।
- **बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986** (2016 में संशोधित) के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में रोजगार देने पर पूर्ण प्रतिबंध है, जबकि 14 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों के काम को विनियमित किया जाता है।

## क्या चुनौतियाँ हैं?

- वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में जबरन श्रम की पहचान करना कठिन है, क्योंकि आयातित उत्पादों में अलग-अलग देशों में फैले उत्पादकों, उप-ठेकेदारों, मध्यस्थों और आपूर्तिकर्ताओं की कई परतें शामिल हो सकती हैं।
- लघु और मध्यम उद्यमों को अधिक अनुपालन लागत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपूर्ति शृंखला की जाँच, प्रमाणन, दस्तावेजीकरण और समुचित जाँच की व्यवस्थाएँ महंगी और तकनीकी रूप से जटिल हो सकती हैं।
- अलग-अलग देश जबरन श्रम की अलग-अलग परिभाषाएँ और प्रवर्तन मानक अपनाते हैं, जिससे नियामकीय विखंडन उत्पन्न होता है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में संलग्न भारतीय व्यवसायों पर अनुपालन का बोझ बढ़ता है।
- जबरन श्रम से संबंधित आयात प्रतिबंध संरक्षणवाद को लेकर चिंताएँ पैदा कर सकते हैं, यदि विशेष वस्तुओं या उत्पादकों को जबरन श्रम से जोड़ने वाले विशिष्ट साक्ष्यों के बिना व्यापार उपाय लागू किए जाते हैं।

## आगे की राह

- भारत और अमेरिका को जबरन श्रम और व्यापार में विकृतियों के संबंध में द्विपक्षीय संवाद तथा साक्ष्य-साझाकरण तंत्र को मजबूत करना चाहिए।
- व्यापार से संबंधित जाँच में पारदर्शिता, उचित प्रक्रिया और क्षेत्र-विशिष्ट साक्ष्यों को बनाए रखा जाना चाहिए।
- भारत को जबरन श्रम के विरुद्ध घरेलू स्तर पर प्रवर्तन को मजबूत करना चाहिए और अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं की निगरानी एवं पता लगाने की क्षमता में सुधार करना चाहिए।
- डंपिंग और सब्सिडी से संबंधित व्यापारिक विकृतियों से निपटने के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप व्यापार-उपचार तंत्र को प्राथमिक माध्यम बनाए रखना चाहिए।

**स्रोत: TH**

# पर्यावरणीय मंजूरी का पश्चात् अनुमोदन

## सन्दर्भ

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वनशक्ति बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद लंबित पश्चात् पर्यावरणीय मंजूरी के मामलों की प्रक्रिया फिर से शुरू करने के लिए पर्यावरणीय मूल्यांकन प्राधिकरणों को निर्देश दिया है।

## कार्योत्तर (Post facto) पर्यावरणीय मंजूरी क्या है?

- यदि कोई परियोजना पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2006 के दायरे में आती है, तो परियोजना की स्थापना, विस्तार या आधुनिकीकरण से पहले सामान्यतः पर्यावरणीय मंजूरी लेना आवश्यक होता है।
- पश्चात् मंजूरी उस व्यवस्था को संदर्भित करती है जिसके माध्यम से वे परियोजनाएँ, जिन्होंने पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त किए बिना पहले ही संचालन शुरू कर दिया हो या विस्तार कर लिया हो, बाद में पर्यावरणीय अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकती हैं।
- यह व्यवस्था 2017 में एक बार की क्षमादान अवधि के रूप में शुरू की गई थी और बाद में 2021 के कार्यालय ज्ञापन (OM) के माध्यम से इसे लागू किया गया।

## मौजूदा कानूनी ढाँचा

**पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986**

- यह केंद्र सरकार को पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए कदम उठाने का अधिकार प्रदान करता है।

**EIA अधिसूचना, 2006**

- यह कुछ विशेष प्रकार की परियोजनाओं और गतिविधियों के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी का प्रावधान करती है।
- इस ढाँचे में स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, जनभागीदारी और मूल्यांकन जैसी प्रक्रियाएँ शामिल हैं तथा निर्दिष्ट गतिविधियों को शुरू करने से पहले पर्यावरणीय आकलन किया जाना आवश्यक है।

**वर्ष 2017 की अधिसूचना**

- केंद्र सरकार ने 2017 में एक बार की, समयबद्ध प्रक्रिया तैयार की, जिसके माध्यम से उन परियोजनाओं का आकलन किया जा सके जो आवश्यक पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के बिना शुरू हो गई थीं या जिनका विस्तार हो चुका था।

**कार्यालय ज्ञापन, 2021**

- इसने अनुपालन न करने वाले मामलों और पश्चात् पर्यावरणीय मंजूरी के आवेदनों से निपटने के लिए एक ढाँचा प्रदान किया।

## वनशक्ति बनाम भारत संघ में निर्णय

- जुलाई 2026 में सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चात् मंजूरी की व्यवस्था को नियंत्रित करने वाले 2021 के कार्यालय ज्ञापन को रद्द कर दिया।
- हालांकि, न्यायालय ने कहा कि जिन परियोजनाओं को पहले ही पश्चात् मंजूरी मिल चुकी है, वे वैध बनी रहेंगी।
- इस व्यवस्था के तहत लंबित आवेदनों को कानून के अनुसार संसाधित किया जाना था।
- न्यायालय ने कहा कि पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी अनिवार्य है, जब तक कि कानूनी ढाँचे में स्वयं संशोधन न किया जाए।

NEXT IAS हिन्दी

- न्यायालय ने वर्ष 2017 की अधिसूचना को भी बरकरार रखा, क्योंकि इसे सीमित दायरे वाला और समयबद्ध विधायी उपाय माना गया।

## कार्योत्तर (Post-Facto) मंजूरी के लाभ

1. **मौजूदा उल्लंघनों का समाधान**
   - एक नियामक व्यवस्था उन परियोजनाओं को, जो पूर्व मंजूरी के बिना शुरू हो चुकी हैं, औपचारिक पर्यावरणीय अनुपालन प्रक्रिया में ला सकती है।
2. **नियामक अनिश्चितता से बचाव**
   - लंबे समय तक बिना स्पष्ट पर्यावरणीय स्थिति के संचालित होने वाली परियोजनाएँ श्रमिकों, निवेशकों, नियामकों और प्रभावित समुदायों के लिए भ्रम की स्थिति पैदा कर सकती हैं।
   - ऐसी प्रक्रिया की विधायी रूप से स्पष्ट परिभाषा इन पहलों की भविष्य की नियामक स्थिति के संबंध में स्पष्टता ला सकती है।
3. **केवल दंडात्मक के बजाय सुधारात्मक विनियमन**
   - यह दृष्टिकोण उन परिस्थितियों में प्रासंगिक है जहाँ पर्यावरणीय प्रभावों को अभी भी कम या सुधारा जा सकता है।

## चिंताएँ क्या हैं?

1. **एहतियाती सिद्धांत को कमजोर करना**
   - जब तक परियोजना का संचालन शुरू होता है, तब तक पर्यावरणीय क्षति पहले ही हो चुकी हो सकती है, जिससे बाद में किया गया आकलन पूर्व मूल्यांकन के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाता।
2. **अनुपालन न करने को प्रोत्साहन**
   - यदि किसी परियोजना को संचालन शुरू होने के बाद भी मंजूरी मिल सकती है, तो परियोजना समर्थकों के लिए नियमों का प्रारंभिक अनुपालन कम महत्वपूर्ण हो सकता है।
   - इससे नैतिक जोखिम उत्पन्न हो सकता है, जहाँ नियमों का उल्लंघन एक सोचा-समझा नियामक जोखिम बन जाता है।
3. **जनभागीदारी को कमजोर करना**
   - EIA व्यवस्था के तहत जन परामर्श का उद्देश्य प्रभावित लोगों को महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने से पहले अपनी चिंताएँ व्यक्त करने का अवसर देना है।
   - यदि यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण निर्माण या संचालन शुरू होने के बाद की जाती है, तो व्यवहार में जनभागीदारी का प्रभाव कम हो सकता है।

## आगे की राह

- पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी को सामान्य नियम के रूप में बनाए रखा जाना चाहिए, जबकि पश्चात् मंजूरी की व्यवस्थाओं को नियमित प्रक्रिया के बजाय अपवादात्मक व्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए।
- किसी भी विशेष व्यवस्था का स्पष्ट वैधानिक आधार होना चाहिए और उसकी अवधि सीमित समय-सीमा तक ही होनी चाहिए।
- जिन परियोजनाओं से गंभीर या अपरिवर्तनीय पारिस्थितिक क्षति होने की संभावना है, उनके साथ मामूली प्रक्रियात्मक उल्लंघनों के समान व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।

**स्रोत: IE**

# संक्षिप्त समाचार

## गोबरधन योजना

### चर्चा में क्यों?

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने संपीड़ित बायोगैस (CBG) क्षेत्र के विकास के लिए गोबरधन योजना का शुभारंभ किया।

### गोबरधन योजना

- ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन को बढ़ावा देना (GOBARdhan) योजना वर्ष 2018 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) के एक अभिन्न हिस्से के रूप में शुरू की गई थी।
- इसका उद्देश्य जैव-अपशिष्ट—पशु अपशिष्ट, रसोई से निकलने वाला कचरा, फसल अवशेष और बाजार से निकलने वाले कचरे—को बायोगैस और जैव-स्लरी में परिवर्तित करना था, जिससे गांवों में स्वच्छता सुनिश्चित हो और ग्रामीण जीवन में सुधार हो।
- अगस्त 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय परिपत्र जैव-ऊर्जा योजना—गोबरधन को कुल ₹23,731 करोड़ के बजट के साथ मंजूरी दी।
- यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो भारत में CBG के विकास को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2035-36 तक 10 वर्षों का ढांचा प्रदान करती है।

### घटक

1. **सुनिश्चित CBG खरीद**
   - गोबरधन योजना उत्पादकों के लिए एक विश्वसनीय और पूर्वानुमानित बाजार उपलब्ध कराने हेतु एक समर्पित CBG खरीद आश्वासन ढांचा स्थापित करती है।

NEXT IAS हिन्दी

- नगर गैस वितरण संस्थाओं द्वारा खरीद से CNG (परिवहन) और PNG (घरेलू) क्षेत्रों में अधिसूचित CBG दायित्व की दिशा में लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी:
- वित्त वर्ष 2026-27 में 3%
- वित्त वर्ष 2027-28 में 4%
- वित्त वर्ष 2028-29 से आगे 5%

2. **स्थिर CBG मूल्य निर्धारण ढांचा**
   - गोबरधन योजना ₹2,110 प्रति मेट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (MMBTU) का स्थिर प्रशासित CBG मूल्य निर्धारित करती है।
   - इसे सरकार समर्थित मूल्य निर्धारण ढांचे के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी।
3. **पूंजीगत सहायता**
   - पात्र नई CBG परियोजनाओं को स्थापित CBG क्षमता के प्रति टन प्रतिदिन (TPD) ₹2 करोड़ तक की पूंजीगत सहायता प्राप्त होगी।
   - यह सहायता केवल मुख्य संयंत्र मशीनरी तक सीमित नहीं होगी, बल्कि कच्चे माल के एकत्रीकरण, जैविक खाद प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन से संबंधित महत्वपूर्ण मूल्य श्रृंखला परिसंपत्तियों तक भी विस्तारित होगी।
   - उत्पादन क्षमता बढ़ाने वाली मौजूदा परियोजनाएं भी पात्र होंगी।
4. **पाइपलाइन अवसंरचना का विकास**
   - योजना समूह-आधारित और स्वतंत्र, दोनों प्रकार की पाइपलाइन अवसंरचना को सहायता प्रदान करती है।
   - इसका उद्देश्य CBG संयंत्रों को मुख्य पाइपलाइनों और नगर गैस वितरण नेटवर्क से जोड़ना है।
5. **ऋण गारंटी सहायता**
   - एक समर्पित ऋण गारंटी तंत्र ऋणदाताओं के विश्वास को मजबूत करेगा और पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम-आधारित CBG परियोजनाओं के लिए संस्थागत ऋण के प्रवाह को बढ़ाएगा।
6. **CBG पारिस्थितिकी तंत्र चुनौती कोष**
   - गोबरधन योजना एक समर्पित CBG पारिस्थितिकी तंत्र चुनौती कोष स्थापित करती है।
   - इसका उद्देश्य जिला स्तर पर कार्यान्वयन में तेजी लाना और पूरे CBG पारिस्थितिकी तंत्र में स्थानीय मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करना है।

## उद्देश्य

- इसका उद्देश्य एक दीर्घकालिक ढांचे के माध्यम से घरेलू CBG उत्पादन को लगभग 10 गुना बढ़ाकर लगभग 5 MMSCMD करना है, जिससे निवेशकों और ऋणदाताओं को बेहतर आश्वासन मिल सके।
- इसका लक्ष्य संपीड़ित बायोगैस (CBG) उत्पादन में 10 गुना वृद्धि, ईंधन आयात पर ₹40,000 करोड़ से अधिक की बचत, सकल घरेलू उत्पाद में ₹75,000 करोड़ से अधिक की वृद्धि और 1.5 लाख से अधिक रोजगार सृजित करना है।
- सरकार का उद्देश्य कृषि एवं जैविक अपशिष्ट को घरेलू ऊर्जा के एक नए स्रोत में परिवर्तित करना है।

स्रोत :TH

# ग्रेट इंडियन बस्टर्ड

## चर्चा में क्यों?

दस बंदी प्रजनित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIBs) को राजस्थान के जैसलमेर में उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाना तय है। यह प्रजाति की जंगली आबादी को पुनः बढ़ाने के प्रयास का हिस्सा है।

## ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB)

- GIB बड़े आकार के पक्षी हैं, जिनकी ऊँचाई लगभग एक मीटर और वजन लगभग 15 से 18 किलोग्राम होता है।
- यह शुष्क और अर्ध-शुष्क खुले प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों की एक प्रमुख प्रजाति है। यह कई वर्षों से विलुप्ति के कगार पर है और इसकी जंगली आबादी लगभग 120-150 के बीच बनी हुई है।
- नवीनतम आबादी के अनुमान के अनुसार, सबसे बड़ी आबादी 130 (+/-20) राजस्थान में है, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में लगभग 5-6-6 व्यक्ति पाए जाते हैं।
- यह राजस्थान का राजकीय पक्षी है।

## संरक्षण

- इसे भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में सूचीबद्ध किया गया है।
- इसे CMS अभिसमय तथा CITES के परिशिष्ट I में भी सूचीबद्ध किया गया है।
- IUCN लाल सूची में इसे अति संकटग्रस्त (Critically Endangered) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

## खतरे:

इन्हें आवास की हानि, अवैध शिकार तथा शिकारियों द्वारा इनके अंडों और पक्षियों का शिकार जैसे खतरों का सामना करना पड़ा है।

- हाल के समय में, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से बिजली की निकासी के लिए स्थापित विद्युत लाइनों से टकराने के कारण होने वाली मृत्यु भी एक बड़ा खतरा बन गई है।

NEXT IAS हिन्दी

- सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि DNP के बाहर स्थित क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की विद्युत लाइनों को दिसंबर 2027 तक भूमिगत किया जाना है।

स्रोत :IE

## अभ्यास 'वरुण'

### चर्चा में क्यों?

भारतीय नौसेना का पोत त्रिशूल 'वरुण' अभ्यास के 24वें संस्करण में भाग लेने के लिए फ्रांस के टूलॉन पहुँचा।

### 'वरुण' अभ्यास

- यह भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है।
- इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी और यह दोनों देशों के बीच सहयोग का एक महत्वपूर्ण आधार बन गया है। यह नौसैनिक अंतर-संचालन क्षमता और परिचालन समन्वय को बढ़ाने के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- इसमें बंदरगाह और समुद्र में पेशेवर गतिविधियाँ, जिनमें क्रॉस-डेक यात्राएँ, परिचालन संबंधी बातचीत और खेल गतिविधियाँ शामिल हैं, आयोजित की जाएँगी।

### महत्व

- यह दोनों नौसेनाओं को अनुभव और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियाँ साझा करने, अंतर-संचालन क्षमता बढ़ाने तथा आपसी समझ को और मजबूत करने के अवसर प्रदान करेगा।

स्रोत: PIB

## सिकल सेल एनीमिया की गंभीरता का अनुमान लगाने के लिए भारत-विशिष्ट उपकरण

### चर्चा में क्यों?

CSIR-केंद्र कोशिकीय एवं आणविक जीवविज्ञान संस्थान (CCMB) के वैज्ञानिकों ने सिकल सेल एनीमिया (SCA) के लिए भारत-विशिष्ट रोग गंभीरता स्कोर विकसित किया है।

### सिकल सेल एनीमिया

1. यह एक आनुवंशिक रक्त विकार है, जो बीटा ग्लोबिन जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। यह असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जिसके कारण लाल रक्त कोशिकाएँ हँसिया के आकार की हो जाती हैं। इससे एनीमिया, गंभीर दर्द के दौरे, अंगों को क्षति और अन्य जटिलताएँ हो सकती हैं।
2. यह अफ्रीकी, भूमध्यसागरीय, मध्य-पूर्वी और भारतीय मूल के लोगों में अधिक सामान्य है।
3. कारण और लक्षण:
   - यह एकल-जीन उत्परिवर्तन से होने वाला रोग है, जिसकी गंभीरता अलग-अलग हो सकती है। यह HBB जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है, जो हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए निर्देश प्रदान करता है।
   - भारतीयों में रोग का स्वरूप अपेक्षाकृत कम गंभीर दिखाई देता है, जिसका एक कारण भ्रूणीय हीमोग्लोबिन के उच्च स्तर को माना जाता है। अफ्रीकी लोगों की तुलना में कुछ गंभीर जटिलताएँ भारतीयों में कम सामान्य हैं।
   - हालांकि, पोषण संबंधी कमियाँ, संक्रमण और पर्यावरणीय तनाव एनीमिया तथा रोग के परिणामों को और गंभीर बना सकते हैं।
4. निदान:
   - सिकल सेल एनीमिया का सामान्यतः रक्त परीक्षण के माध्यम से निदान किया जाता है। इन परीक्षणों में असामान्य हीमोग्लोबिन (HbS) की जाँच की जाती है, जो इस रोग की प्रमुख विशेषता है।
5. उपचार:
   - सिकल सेल रोग (SCD) के उपचार का उद्देश्य लक्षणों से राहत देना और जटिलताओं को रोकना है।
   - अस्थि-मज्जा/स्टेम-सेल प्रत्यारोपण संभवतः उपचारात्मक हो सकता है, लेकिन यह महँगा है, इसमें पर्याप्त जोखिम होते हैं और इसके लिए अनुकूल दाता की आवश्यकता होती है।
   - हाइड्रॉक्सीयूरिया, दर्द निवारक दवाएँ, रक्त आधान और एंटीबायोटिक्स सामान्य उपचार हैं। हाल के समय में जीन-संपादन आधारित दवाएँ भी विकसित की गई हैं।
   - दिसंबर 2023 में अमेरिकी FDA ने Casgevy और Lyfgenia को मंजूरी दी। इनमें Casgevy सिकल सेल रोग के लिए जीनोम-संपादन तकनीक का उपयोग करने वाली पहली FDA-अनुमोदित चिकित्सा थी।
6. भारत के कदम:
   - 2023 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया, जिसका लक्ष्य 2047 तक सिकल सेल रोग को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करना है।
   - मिशन का समग्र उद्देश्य सभी SCD रोगियों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना

NEXT IAS हिन्दी

तथा जागरूकता, व्यवहार में बदलाव और जाँच संबंधी हस्तक्षेपों के माध्यम से इसके प्रसार को कम करना है।

### नवीनतम घटनाक्रम

- CSIR-CCMB के वैज्ञानिकों ने सिकल सेल एनीमिया (SCA) के लिए भारत-विशिष्ट गंभीरता स्कोर (ISS) विकसित किया है। इसके लिए 171 भारतीय बच्चों के चिकित्सीय आँकड़ों का उपयोग किया गया।
- अंतरराष्ट्रीय बाल चिकित्सा गंभीरता स्कोर का विशेषज्ञों के आकलन के साथ केवल 67% सामंजस्य था। शोधकर्ताओं ने अब भारतीय शिशुओं में अक्सर पाए जाने वाले चिकित्सीय मानदंडों को शामिल किया है, जैसे बार-बार रक्त आधान, गंभीर एनीमिया और बार-बार होने वाले बुखार वाले संक्रमण।
- संशोधित ISS1 ने सटीकता को लगभग 83% तक सुधार दिया, जबकि मुख्य रूप से दिखाई देने वाले चिकित्सीय संकेतों पर आधारित ISS2 लगभग 85% सामंजस्य तक पहुँचा और प्रयोगशाला परीक्षणों पर निर्भरता कम की।
- इस उपकरण में चिकित्सकों को समय पर उपचार संबंधी निर्णय लेने में सहायता करने की क्षमता है, जिसमें हाइड्रॉक्सीयूरिया के प्रबंधन संबंधी निर्णय भी शामिल हैं। हालाँकि, इसे बड़े और अधिक विविध समूहों पर मान्य किया जाना अभी आवश्यक है।

स्रोत:TH

## बुक्सा टाइगर रिजर्व

### सन्दर्भ

- T138 नामक तीन वर्षीय बाघिन को पश्चिम बंगाल के बुक्सा टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया है। यह एक चरणबद्ध बाघ पुनर्प्रवेश कार्यक्रम की शुरुआत है, जिसका उद्देश्य एक स्व-निर्भर बाघ आबादी स्थापित करना है।

### बुक्सा टाइगर रिजर्व का परिचय

- **स्थान**: यह उत्तरी पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में भारत-भूटान सीमा के पास स्थित है।
- बुक्सा को 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था

### पारिस्थितिक महत्व:

यह पूर्वी हिमालय की तलहटी का हिस्सा है और असम तथा भूटान के जंगलों के साथ पारिस्थितिक संबंध स्थापित करता है।

- **जीव-जंतु**: यहाँ पाए जाने वाले स्तनधारियों में एशियाई हाथी, गौर, सांभर हिरण, क्लाउडेड लेपर्ड, भारतीय तेंदुआ और एशियाई गोल्डन कैट शामिल हैं।
- **बाघों की आबादी**: आवास के क्षरण, विखंडन और शिकार की उपलब्धता में कमी के कारण रिजर्व में लंबे समय से एक स्थिर स्थानीय बाघ आबादी का अभाव रहा है।
- **नदियाँ**: संकोश नदी असम सीमा के साथ रिजर्व की पूर्वी सीमा का एक हिस्सा बनाती है।
- **जयन्ती नदी**: यह बुक्सा क्षेत्र से होकर बहने वाली एक प्रमुख मौसमी नदी है।

**स्रोत: TH**

## पैरासेल द्वीप समूह में एंटीलोप रीफ

### सन्दर्भ

- चीन दक्षिण चीन सागर में विवादित पैरासेल द्वीप समूह के एंटीलोप रीफ पर एक रनवे का निर्माण कर रहा है। इससे क्षेत्र में चीन की सैन्य पहुँच का विस्तार होने की संभावना है।

### एंटीलोप रीफ का परिचय

- **स्थान:** एंटीलोप रीफ पैरासेल द्वीप समूह का हिस्सा है, जिसे चीनी भाषा में शिशा द्वीप समूह कहा जाता है। यह उत्तरी दक्षिण चीन सागर में, चीन के हैनान द्वीप के पास स्थित है।
- **क्षेत्रीय दावे:** पैरासेल द्वीप समूह पर चीन, वियतनाम और ताइवान दावा करते हैं। हालाँकि, 1974 से चीन ने इस द्वीप समूह पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखा है।

### दक्षिण चीन सागर

- यह पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक सीमांत सागर है।
- यह दक्षिणी चीन, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया और मलेशिया के बीच स्थित है।
- यह एक महत्वपूर्ण समुद्री प्रवेश द्वार और संपर्क क्षेत्र है, जो प्रशांत और हिंद महासागरों के बीच होने वाले समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है।

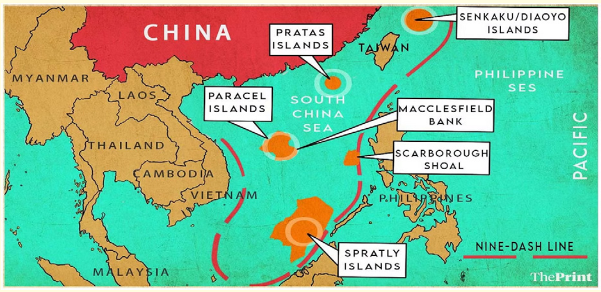


### दक्षिण चीन सागर में विवाद

- चीन, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और ताइवान जैसे दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच दक्षिण चीन सागर के विवादित क्षेत्र को लेकर लंबे समय से विवाद रहे हैं।

**विवाद के दो प्रमुख क्षेत्र हैं:**

- स्प्रैटली द्वीप समूह
- पैरासेल द्वीप समूह

### नाइन-डैश लाइन

- चीन इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्से पर अपना दावा करता है। इस दावे के केंद्र में 'नाईन-डैश लाइन' है, जो लगभग 90% समुद्री क्षेत्र को अपने दावे में शामिल करती है।
- यह बिंदीदार रेखा 1940 के दशक के चीनी मानचित्रों से अपनाई गई थी और दक्षिण चीन सागर तथा इस रेखा के भीतर आने वाली सभी भू-आकृतियों पर बीजिंग के दावे को दर्शाती है।

**स्रोत: RT**

## G7 देश 10 करोड़ बैरल तेल जारी करेंगे

### सन्दर्भ

- G7 देशों ने बढ़ती ईंधन कीमतों को कम करने के लिए चार महीनों में 10 करोड़ बैरल तेल जारी करने पर सहमति जताई है। पहले 20 दिनों में बड़ी मात्रा में डीजल जारी करने की योजना है।

### परिचय

- इस समन्वित रूप से तेल जारी करने का उद्देश्य अल्पावधि में पेट्रोलियम की उपलब्धता बढ़ाना है।
- अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) इस तेल जारी करने की प्रक्रिया का समन्वय करेगी। यह बड़े ऊर्जा-बाजार व्यवधानों के दौरान अंतरराष्ट्रीय सहयोग के महत्व को दर्शाता है।

### G7 (ग्रुप ऑफ सेवन)

- यह सात देशों का एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसमें विश्व की सबसे अधिक औद्योगीकृत और विकसित अर्थव्यवस्थाएँ शामिल हैं।
- सदस्य: फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और जापान।
- इतिहास: इसकी शुरुआत वर्ष 1973 के तेल संकट के बाद फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और जापान के वित्त मंत्रियों की एक अनौपचारिक बैठक से हुई थी। इसे ग्रुप ऑफ फाइव कहा गया।
- कनाडा वर्ष 1976 में समूह में शामिल हुआ और यूरोपीय संघ (EU) ने 1977 से बैठकों में भाग लेना शुरू किया।
- वर्ष 1997 में मूल सात देशों के साथ रूस के जुड़ने के बाद इसे G8 कहा जाने लगा। 2014 में रूस द्वारा यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र के विलय के बाद उसे सदस्य के रूप में निष्कासित कर दिया गया और समूह फिर से G7 कहलाने लगा।

### अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA)

- अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की स्थापना 1973-74 के तेल संकट के बाद की गई थी, ताकि औद्योगीकृत देशों को बड़े तेल संकटों से निपटने में सहायता मिल सके।
- मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस।
- सदस्य: IEA में 32 सदस्य देश हैं, जिनमें अमेरिका, कनाडा, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया आदि शामिल हैं।
- सहयोगी देश: भारत, चीन, इंडोनेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड आदि।

### IEA की सदस्यता के मानदंड

- IEA का सदस्य बनने के लिए किसी उम्मीदवार देश का OECD का सदस्य होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उसे निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना होता है:
- पिछले वर्ष के शुद्ध तेल आयात के 90 दिनों के बराबर कच्चे तेल और/या पेट्रोलियम उत्पादों का भंडार होना।
- राष्ट्रीय तेल खपत को 10% तक कम करने के लिए मांग नियंत्रण कार्यक्रम होना।
- राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित आपातकालीन प्रतिक्रिया उपाय (CERM) संचालित करने के लिए आवश्यक कानून और संगठनात्मक व्यवस्था होना।

**स्रोत: Air**

## पाकिस्तान में SCO राष्ट्रीय समन्वयकों की बैठक

### चर्चा में क्यों?

भारत ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के राष्ट्रीय समन्वयकों की बैठक के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को पाकिस्तान भेजा। यह पिछले वर्ष ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय अधिकारी प्रतिनिधिमंडल की पाकिस्तान की पहली यात्रा थी।

### शंघाई सहयोग संगठन (SCO)

- यह दस सदस्य देशों वाला बहुपक्षीय संगठन है, जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के नेताओं द्वारा की गई थी।
- उज्बेकिस्तान को छोड़कर ये सभी देश अप्रैल 1996 में गठित 'शंघाई-5' समूह के सदस्य रहे थे।
- **सदस्य देश**: बेलारूस गणराज्य
- भारत गणराज्य
- ईरान इस्लामी गणराज्य

- कजाकिस्तान गणराज्य
- चीन जनवादी गणराज्य
- किर्गिज गणराज्य
- पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य
- रूसी संघ
- ताजिकिस्तान गणराज्य
- उज्बेकिस्तान गणराज्य
  - पर्यवेक्षक देश – अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य,

**मंगोलिया**

- **उद्देश्य :** SCO आगे चलकर शांति, सुरक्षा, स्थिरता, आर्थिक सहयोग तथा सामाजिक-सांस्कृतिक विकास पर केंद्रित एक प्रमुख क्षेत्रीय संगठन के रूप में विकसित हुआ है।

इसके मूल सिद्धांतों को "शंघाई भावना" कहा जाता है, जिनमें शामिल हैं:

- पारस्परिक विश्वास
- संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान
- आक्रमण न करना
- आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना
- मतभेदों का शांतिपूर्ण समाधान
- यह स्वयं को खुले संगठन के रूप में प्रस्तुत करता है और किसी अन्य राज्य या क्षेत्र के विरुद्ध निर्देशित नहीं है।
- यह सैन्य या रक्षा गठबंधन नहीं है।

## SCO राष्ट्रीय समन्वयकों की बैठक

- SCO की राष्ट्रीय समन्वयक परिषद वार्षिक आधार पर घूर्णन प्रणाली के तहत अध्यक्षता करने वाले देश के नेतृत्व में बैठक करती है।
- 31 अगस्त–1 सितंबर को बिश्केक शिखर सम्मेलन के बाद पाकिस्तान ने अध्यक्षता संभाली, इसलिए बैठक इस्लामाबाद में आयोजित हुई।
- SCO के सदस्य के रूप में भारत के लिए बैठक में भाग लेना एक दायित्व था।
- यह अक्टूबर 2024 में विदेश मंत्री एस. जयशंकर की SCO शासनाध्यक्षों की बैठक के लिए पाकिस्तान यात्रा के बाद ऐसी पहली यात्रा भी थी।

## भारत के लिए प्रमुख निष्कर्ष

**1. कूटनीतिक संतुलन**

- भारत पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद SCO और BRICS जैसे बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से दोनों देशों के साथ संवाद बनाए रखते हुए घटनाक्रम पर नजर रख रहा है।
- इसका उद्देश्य अपने हितों की रक्षा करना तथा किसी भी कथा या क्षेत्रीय दावे को बिना चुनौती दिए स्वीकार न होने देना है।

2. प्रधानमंत्री मोदी की संभावित पाकिस्तान यात्रा

- संभावना है कि पाकिस्तान अगली SCO नेताओं की बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित करे।
- इसमें भारत की भागीदारी का निर्णय एक राजनीतिक निर्णय होगा।
- SCO में भारत की वर्तमान भागीदारी से यह आकलन करने में मदद मिल सकती है कि ऐसी यात्रा व्यवहार्य है या नहीं।

**3. ट्रंप कारक**

- ट्रंप कारक भारत-पाकिस्तान संबंधों में अनिश्चितता का एक अतिरिक्त तत्व जोड़ता है।
- रूस-यूक्रेन तथा अमेरिका-ईरान विवादों के कारण विश्व का ध्यान इन मुद्दों की ओर चला गया है, जबकि ट्रंप द्वारा कथित रूप से पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व को समर्थन देने से उसकी स्थिति मजबूत हुई है।
- इसलिए भारत को ट्रंप के कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान के साथ किसी भविष्य के युद्ध के प्रभावों का सावधानीपूर्वक आकलन करना होगा।
- साथ ही, संचार के माध्यम खुले रखने और तनाव बढ़ने के जोखिम को कम करने के लिए सीमित कूटनीतिक संवाद बनाए रखना होगा।

**4. पाकिस्तान के दावों का जवाब**

- भारत द्वारा कश्मीर और आतंकवाद से संबंधित पाकिस्तानी बयानों का कड़ा जवाब दिए जाने की संभावना है, जैसा कि भारत ने SCO और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर किया है।

**5. चीन की चुनौती**

- पाकिस्तान की तुलना में चीन की चुनौती भारत के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, विशेषकर 2020 से जारी सीमा विवाद के कारण।
- इसलिए दोनों सीमाओं पर स्थिरता बनाए रखना भारत का एक रणनीतिक उद्देश्य बना हुआ है।
- बहुपक्षीय मंच तनाव कम करने और संवाद बनाए रखने का अवसर प्रदान करते हैं।

स्रोत:IE

■■■■